10.02.25	पत्रावली पेश / उभय पक्ष वकील उप०। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये अपनी बहस में निवेदन किया कि मौजा ग्राम चौरा नवीन ख० 290, 291, 292, 326, 327, 328, 329, 334, 335, 336, 353, 354 355, 356 जुमले रकबा 11.17 है०, अन्य खसरा नं० 330, 331, 332, 333 जुमले रकबा 3.89 है०.

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.02.25 16:34.21 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Scanned with OKEN Scanner

मुकदमा नम्बर 39/15

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए।
	हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 1 से 6 के बीच संयुक्त खातेदारी नाम से है। जिसमें करीबन 60 वर्ष पूर्व बंटवाड़ा हो चुका है तथा मौके पर पक्षकारान की अलग-अलग ढाणियां बनी हुई है। तथा अलग-अलग माहे भी कायम है। वर्तमान में उक्त आराजी में से नर्मदा नहर परियोजना सांचौर लिफ्ट कैनाल सर्वे बाद वर्तमान रेकर्ड स्थिति ख.न. 291, 292, 326, 327, 328, 329, 334, 335, 336, 353, 354, 355, 356, 2041/292, 2042/335 जुमले रकबा 9.7340 व ख.न. 330, 331, 332, 333, 2046/333 जुमले रकबा 2.94 हैक्टेयर दर्ज हुई है, जिसमें उक्त आराजी में प्रार्थीगण के पुराने कब्जे काश्त में आई भूमी में अप्रार्थीगण दखलंदाजी करते रहते हैं व पुश्तैनी कब्जे काश्त व बंटवाड़ा की भूमी में प्रार्थीगण को काश्त करने मे अप्रार्थीगण व्यवधान उत्पन्न करते है। अप्रार्थी सं. 1 से 6/4 व 11 से 14 की ओर से अधि. श्री जालाराम पूनीया द्वारा पूर्व में प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र को दोहराते हुये निवेदन किया कि पक्षकारान के बीच किसी [illegible] है तथा अप्रार्थीगण [illegible] उपजाऊ भूमि [illegible] दिये है। अप्रार्थीगण वकील [illegible] द्वारा प्रार्थीगण के समस्त तर्कों का विरुद्ध किया।	

(हस्ताक्षर)
सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

P.T.O.

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.02.25 16:34:21 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

मुकदमा नम्बर 39/15

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अज इनिशियल्स जज
	हमनें दोनों पक्षों के तर्कों पर मनन किया, दोनों प्रकरणों के पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अध्ययन, अवलोकन किया। वादग्रस्त भूमि दोनों प्रकरणों के पक्षकारों के जमाबंदी अनुसार सह खातेदारी में दर्ज है। जिससे प्रथम दृष्टया मामला दोनों पक्षों के समान रूप से बना पाया जाता है। अतः इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि दोनों पक्षों के प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण ग्राम चौरा, (वर्तमान में चौरा ढाणी) के ख.न. 353, 354, 355, 356, 330, 326, 327, 328, 329 में मूल वाद के निस्तारण तक जमाबंदी में दर्ज हिस्से से ज्यादा एक दूसरे के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप न तो स्वयं करे नहीं किसी से करावे। पत्रावली फैसल ... नवर से कम ...
	(उपखण्ड अधिकारी, ...चौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.02.25 16:34:21 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner